




IN-UP02355018668737V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

E-STAMP Net JFR  
PROF. C.D. PRASAD  
C.O. NO. 014450  
COLLECTORATE MATHURA  
Mob No 975 444

- Certificate No. : IN-UP02355018668737V
- Certificate Issued Date : 01-Sep-2023 10:51 AM
- Account Reference : NEWINPACC (SV)/ up14445104/ MATHURA SADAR/UP-MTH
- Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1444540400205553510953V
- Purchased by : SECRETARY YASHPAL SINGH
- Description of Document : Article 4 Affidavit
- Property Description : Not Applicable
- Consideration Price (Rs.) : -
- First Party : PACHAINYA SHIKSHA SAMITI
- Second Party : Not Applicable
- Stamp Duty Paid By : PACHAINYA SHIKSHA SAMITI
- Stamp Duty Amount(Rs.) : 100  
(One hundred only)



Please write or type date in this box



*(Signature)*  
Notarized At Advocate

*(Signature)*

Disclaimer Alert

1. The use of any of the stamps created on this site is subject to the terms and conditions of the 'Stamp App of Govt. of India'.
2. The use of any of the stamps created on this site is subject to the terms and conditions of the 'Stamp App of Govt. of India'.
3. The use of any of the stamps created on this site is subject to the terms and conditions of the 'Stamp App of Govt. of India'.

( प्रारूप - ब )

सत्र 2023 - 24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थाओं की सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ - पत्र का प्रारूप

हम उर्मिला देवी एवं यशपाल सिंह क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव पंचैया शिक्षा समिति जाजनपट्टी मगोर्ला मथुरा उत्तर प्रदेश शपथपूर्वक निम्नवत वयान करते हैं -

1. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा पंचैया कॉलेज ऑफ फार्मैसी जाजनपट्टी मगोर्ला मथुरा नामक डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023 - 24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम पंचैया शिक्षा समिति की भूमि जाजनपट्टी मगोर्ला मथुरा ( उ० प्र० ) में गाटा संख्या 2770/2 , 2775/7 रकबा 0.306 हेक्टेयर , 0.713 हेक्टेयर ( कुल रकबा 1.019 हेक्टेयर ) भूमि है।

यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 2770/2 , 2775/7 रकबा 0.306 हेक्टेयर , 0.713 हेक्टेयर ( कुल रकबा 1.019 हेक्टेयर ) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक 01/09/2019 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि , उपरोक्त भूमि पर ही प्रथमतः डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि , निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि , इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया , नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि , इस संस्था में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया , नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मैसी काउन्सिल और इंडिया , नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् , उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद् / विश्वविद्यालय द्वारा



यशपाल सिंह


अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई.टी.आई. आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मोसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नयी दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् के नामों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन / परिषद् द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी भीयी जाती है तो परिषद् की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

13. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, फूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद् द्वारा नियमानुसार कानूनन संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।



महेश चंद्र शर्मा  
ह. मन्विव

  
ह. अध्यक्ष

Read over and sign in presence of witnesses  
& on Oath of Custodian of the Seal  
at my office & noted down in the Register at Rs. 100/-  
and Charged Fees Rs. 100/-  
Mohammed Ali Advocate

Know Signatures  
The HCU Signatures  
Impression (where applicable)  
Bina, Shrivastava

महेश चंद्र शर्मा